संख्याः43/2017/2742/60-2-17-2/3(27)/05

प्रेषक,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 दिनांकः 11 अक्टूबर, 2017

विषयः प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम हेतु 'कुपोषण-मुक्त गांव' बनाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम हेतु मातृ-शिशु मृत्यु दर व मातृ-बाल कुपोषण में कमी लाते हुए 'कुपोषण-मुक्त गांव' बनाने हेतु तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा शासनादेश संख्या सी0-888/रा0पो0मि0/2017-18 दिनांक 27.06.2017 (**प्रति संलग्न**) के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये हैं। इस प्रयास के अंतर्गत पोषण विशिष्ट (गर्भावस्था के दौरान देखभाल, स्तनपान, एनीमिया आदि) तथा पोषण संवेदनशील (स्वच्छता, शिक्षा, आजीविका) हस्तक्षेपों को समाहित करते हुए इन हस्तक्षेपों को लागू करने वाले विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए मानक एवं स्कोरिंग निर्धारित करते हुए एक राजस्व गांव को इकाई लेकर वहां संचालित उक्त गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं सघन अनुश्रवण कर गांवों को चरणबद्ध रूप से '**कुपोषण-मुक्त गांव**' बनाया जाना है।

'**कुपोषण-मुक्त गांव**' बनाने के लिए उपर्युक्त वर्णित शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के क्रम में कतिपय अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त आवश्यक दिशा-निर्देश/संशोधन निम्नानुसार निर्गत किये जा रहे हैं

1. राजस्व गांवों के चयन के लिए उपर्युक्त वर्णित शासनादेश में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाय।
2. यथासम्भव आस-पास के राजस्व गांवों को चयन करने का प्रयास किया जाय। इस हेतु एक विकास खण्ड के सभी गांवों को एक साथ कुपोषण-मुक्त गांव बनाने के लिए चयन करने की कोई अनिवार्यता नहीं है।
3. कुपोषण-मुक्त गांव बनाने के लिए राजस्व गांवों को गोद लेने वाले जनपदीय अधिकारियों द्वारा कम से कम दो राजस्व गांवों को गोद लेना अनिवार्य होगा।
4. चूंकि कुपोषण की रोकथाम में खाद्य विभाग की पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत अर्ह लाभार्थियों को खाद्यान्न के वितरण की महती भूमिका हैं, अस्तु कुपोषण मुक्त गांव होने की कार्यवाही हेतु स्वास्थ्य, आई0सी0डी0एस0, पंचायतीराज, बेसिक शिक्षा एवं ग्राम्य विकास विभागों के साथ खाद्य विभाग का एक मानक आवश्यक मानकों (Essential Indicators) की सूची में सम्मिलित किया जा रहा है। इस प्रकार कुल **12 आवश्यक मानक (Essential Indicators**) निर्धारित किये जा रहे हैं।
5. इसी प्रकार आई0सी0डी0एस0 विभाग के अन्तर्गत हाट कुक्ड मील योजना के स्थान पर गृह भ्रमण को एक आवश्यक मानक निर्धारित करते हुए आई0सी0डी0एस0 विभाग एवं पंचायतीराज विभाग की स्कोरिंग में आंशिक परिवर्तन किये जा रहे हैं।
6. इस प्रकार कुपोषण-मुक्त गांव होने की कार्यवाही हेतु दो मुख्य एवं अनिवार्य मानक (Core Indicators) और संशोधित 12 आवश्यक मानक (Essential Indicators) निम्नानुसार निर्धारित किये जा रहे हैं, जिनके लिये निर्धारित अंक प्राप्त होने पर उन मानकों को पूर्ण माना जायेगाः

दो मुख्य एवं अनिवार्य मानक (Core Indicators)

1. उस गांव में 75 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं आयरन फोलिक एसिड की निर्धारित मात्रा का सेवन करें ताकि गर्भावस्था के आखिरी त्रैमास में किसी भी गांव में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता 25 प्रतिशत से कम हो, जो वर्तमान में 50 प्रतिशत है।
2. उस गांव में 06 माह से 05 वर्ष तक का कोई बच्चा डब्ल्यू एच ओ ग्रोथ चार्ट के अनुसार लाल श्रेणी में न हो।

12 आवश्यक मानक (Essential Indicators)

क्र0स0	*मानक*	विभाग	लक्ष्य	Weight	Total weight
	स्वास्थ्य				
1	गर्भवती महिलाओं का एम0सी0टी0एस0 रजिस्ट्रेशन और मासिक प्रसवपूर्व जांच (वजन, हीमोग्लोबिन, पेट की जांच, पेशाब की जांच) का प्रतिशत	स्वास्थ्य	90%	15	25
2	एक घण्टे के अंदर स्तनपान करने वाले नवजात शिशुओं का प्रतिशत	स्वास्थ्य	90%	10	
	आई0सी0डी0एस0				
1	आंगनबाड़ी केन्द्र पर निर्धारित मात्रा में मासिक अनुपूरक पोषाहार पाने वाली पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत	आई0सी0डी0एस0	100%	5	25
2	आंगनबाड़ी केन्द्र पर निर्धारित मात्रा में मासिक अनुपूरक पोषाहार पाने वाले 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों का प्रतिशत	आई0सी0डी0एस0	100%	10	
3	05 वर्ष से कम आयु के अति कुपोषित बच्चों के परिवारों का आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा हर माह कम से कम एक गृह भ्रमण	आई0सी0डी0एस0	100%	10	
	शिक्षा				
1	आयरन की नीली गोलियों का साप्ताहिक सेवन करने वाली किशोरियों का प्रतिशत	शिक्षा	90%	5	15
2	किशोरियों को मासिक स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा देने वाले सरकारी स्कूलों का प्रतिशत (शादी की सही उम्र, 21 वर्ष की उम्र के बाद ही गर्भधारण, माहवारी के समय साफ-सफाई, पोषित आहार)	शिक्षा	गाव् से जुड़े सभी स्कूल	10	
	पंचायती राज				
1	खुले में शौच मुक्त गांव	पंचायती राज	चयनित गांव	15	25
2	प्राथमिकए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुरक्षित जल की उपलब्धता (बोरिंग) का वर्ष 2017 तक प्रतिशत	पंचायती राज	गाव् से जुड़े सभी स्कूल	5	
3	ग्राम सभा द्वारा कुपोषणमुक्त गांव की मासिक समीक्षा	पंचायती राज	मासिक बैठक	5	

	ग्राम्य विकास				
1	मनरेगा योजना के अंतर्गतयोग्य महिलाओं में से लाभ पाने वाली महिलाओं का प्रतिशत	मनरेगा	80%	5	5
	खाद्य विभाग				
1	पी0डी0एस0 योजना के अंतर्गत अर्ह गर्भवती महिलाओं एवं अतिकुपोषित बच्चों के परिवारों में से लाभ पाने वाले परिवारों का प्रतिशत	खाद्य विभाग	80%	5	5
	कुल योग				**100**

वही गांव कुपोषण मुक्त कहें जायेगे जो दोनो अनिवार्य तथा आवश्यक मानकों में 75/100 का सूचकांक प्राप्त करेंगे।

7. कुपोषण-मुक्त गांव बनाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में उपर्युक्त वर्णित मानकों के आधार पर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी, जिनके द्वारा वह गांव गोद लिया गया है, द्वारा ग्राम एवं ब्लाक स्तर पर अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए बेसलाइन बनाने हेतु प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इस प्रारूप पर सूचना का अंकन करते हुए बेसलाइन की सूचना राज्य पोषण मिशन की वेबसाइट www.suposhanup.in पर फीड की जायेगी। तत्पश्चात इसी प्रारूप पर प्रत्येक माह सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा गांव के भ्रमण के आधार पर कुपोषण-मुक्त गांव बनने की प्रगति की सूचना भी अंकित की जायेगी और उक्त वेबसाइट पर फीड की जायेगी।

8. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कुपोषण मुक्त गांव बनने की कार्यवाही की अनुश्रवण हेतु सम्बन्धित विभागों के कर्मचारियों से आवश्यक सहयोग के साथ-साथ उस गांव के कम से कम दो परिवारों (एक गर्भवती महिला तथा एक अतिकुपोषित बच्चे का परिवार) का गृह भ्रमण कर उनको प्राप्त सेवाओं की जानकारी लेना अनिवार्य होगा।

9. कुपोषण-मुक्त गांव बनाने की कार्यवाही में ग्राम प्रधानों द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जायेगा। इस हेतु ब्लाॅक स्तर पर होने वाले फील्ड कर्मियों के संयुक्त प्रशिक्षण में ग्राम प्रधान/ पंचायत सचिवों को भी प्रशिक्षित कराना अवश्य सुनिश्चित किया जाय। कुपोषण-मुक्त गांव बनने की कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा हेतु राजस्व गांव गोद लेने वाले अधिकारी के भ्रमण के समय ग्राम प्रधान/पंचायत सचिव अवश्य उपस्थित रहेंगें और कार्य की प्रगति के सम्बन्ध आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

10. राज्य पोषण मिशन द्वारा बनाये गये मोबाइल ''ऐप'', जिसके माध्यम से पूर्व में ग्राम सभा गोद लेने वाले अधिकारी द्वारा कुपोषण की रोकथाम सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण किया जाता था, के माध्यम से उपर्युक्त बेसलाइन प्रारूप एवं मासिक प्रगति समीक्षा को भी अपने हस्ताक्षरों सहित राज्य पोषण मिशन की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। इस हेतु राज्य पोषण मिशन द्वारा उक्त ऐप को आवश्यकतानुसार संशोधित कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों द्वारा मण्डलीय एवं जिला पोषण समिति की मासिक बैठकों में उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के आधार पर कुपोषण-मुक्त गांव बनने की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। समीक्षा के आधार पर जिन विभागों से सम्बन्धित मानकों की प्राप्ति में कठिनाई/समस्या पायी जाय, उन विभागों के साथ आवश्यक समन्वय कर उनका निराकरण कराने का दायित्व सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी का होगा।

12. विभिन्न विभागों के मण्डल स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने विभाग के जनपदीय अधिकारियों, जिनके द्वारा कुपोषण-मुक्त गांव बनाने के उद्देश्य से राजस्व गांव गोद लिये गये हैं, द्वारा इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का मासिक पर्यवेक्षण/उनके गांवों का स्थलीय भ्रमण आदि करना सुनिश्चित किया जायेगा एवं अपनी आख्या मण्डलायुक्त को प्रस्तुत की जायेगी। मण्डलायुक्त द्वारा मण्डलीय पोषण समिति की मासिक बैठक में उक्त आख्या को संज्ञान में लेते हुए अपने मण्डल में कुपोषण-मुक्त गांव बनने की प्रगति की समीक्षा/आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। मण्डल स्तरीय अधिकारियों द्वारा राजस्व गांव को गोद लेने की अनिवार्यता नहीं होगी।

13. कुपोषण-मुक्त गाँव बनाने से सम्बन्धित मुख्य गतिविधियों और अनुश्रवण के मानकों आदि के सम्बन्ध में होने वाले अभिमुखीकरण/प्रशिक्षण हेतु आवश्यक बजट राज्य पोषण मिशन द्वारा जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

14. कुपोषण-मुक्त गांव बनाने हेतु गांव के चयन एवं बेसलाइन की सूचना संकलन/वेबसाइट पर फीडिंग आदि संबंधी कार्यवाही दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 तक अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जाय। कुपोषण मुक्त गांव बनाने की योजना क्रियान्वयन के लिए 06 माह की अवधि की गणना दिनांक 01 नवम्बर, 2017 से की जायेगी।

15. शासनादेश संख्या सी-888/रा0पो0मि0/2017-18 दिनांक 27.06.2017 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगें।

अतः उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए राजस्व गांव का चयन कर उसे 'कुपोषण-मुक्त गांव' बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या -43/2017/2742/60-2-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, खाद्य, ग्राम्य विकास उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, उ0प्र0।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
8. निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
9. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
10. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
11. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
13. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
14. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उ0प्र0।
15. समस्त जिला पंचायतीराज अधिकारी, उ0प्र0।
16. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
17. राज्य प्रतिनिधि, यूनिसेफ।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव